सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 187 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—11.09.2023

GCMS ID—2023 / 319

उनवान

1. कन्या बाई पुत्री बजरंगा पत्नी गोपाल लाल जाति धाकड निवासी गणेशपुरा देई तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. कुंभराज आ0 बजरंगा जाति धाकड निवासी छाबडियों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कालीबाई पुत्री बजरंगा पत्नी राजेन्द्र जाति धाकड निवासी सात खालिया मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. गीताबाई पत्नी बजरंगा जाति धाकड निवासी छाबडियों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. गोपाल लाल आ0 चर्तुभुज जाति धाकड निवासी छा0 का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. गोमदा आ0 चर्तुभुज जाति धाकड निवासी छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. धन्ना आ0 हरदेवा जाति धाकड निवासी छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. भंवरी बाई पुत्री बजरंगा पत्नी गेन्दीलाल जाति धाकड निवासी कोटा।
9. महेशपाल आ0 चर्तुभुज जाति धाकड निवासी छाबडियों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. महावीर आ0 बजरंगा जाति धाकड निवासी छाबडियों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. मोहनलाल आ0 बजरंगा जाति धाकड निवासी छा0 का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
12. राममूर्ति पुत्री बजरंगा पत्नी दुर्गालाल जाति धाकड निवासी सावंतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
13. शिमलाबाई पुत्री बजरंगा पत्नी रामचरण जाति धाकड निवासी सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
14. मुकेश आ0 मदनलाल जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
15. सत्यनारायण आ0 मदनलाल जाति गुर्जर निवासी छा0 का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।
2. महावीर आ0 भंवर लाल जाति नाई निवासी सूरगली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. सुरेश कुमार आ0 भंवरलाल जाति नाई निवासी सूरगली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. लक्ष्मीप्रकाश आ0 भंवरलाल जाति नाई निवासी सूरगली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
5. बाबूलाल आ0 मोहनलाल जाति नाई निवासी सूरगली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
6. रामप्रसाद आ0 मोहनलाल जाति नाई निवासी सूरगली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
7. विनोद आ0 मोहनलाल जाति नाई निवासी सूरगली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
8. दुर्गाशंकर आ0 गोपाल जाति गुर्जर निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

9. लाडकंवर पत्नी दुर्गाशंकर जाति गुर्जर निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. शंकरलाल आ0 कालू जाति गुर्जर निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. सूरजभान आ0 गोविन्द लाल जाति गुजर निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास बन्दी तहसील एवं जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री विजय माहेश्वरी
वकील अप्रार्थीगण :– श्री भंवरलाल गुर्जर, अप्रार्थी संख्या 2 से 7
श्री सुरेश रेगर अप्रार्थी संख्या 8 से 11

आदेश

दिनांक : 21.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम छाबडियों का नयागांव पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली ज़िला बून्द में खाता संख्या 90 की कृषि भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 1.0765 हैक्टेयंर, खसरा संख्या 27 रकबा 0.7042 हैक्टेयर, खसरा संख्या 28 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 29 रकबा 1.1250 हैक्टेयर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.7284 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 5.2528 हैक्टेयर विस्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण 1 लगायत 13 व गट्टू पत्नी हरदेवा के नाम दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार गट्टू पत्नी हरदेवा की मृत्यु हो चुकी है। खातेदार गट्टू पत्नी हरदेवा के वारिसान प्रार्थी संख्या 7 ही है। ग्राम छाबडियों का नयागांव पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 19 की कृषि भूमि खसरा संख्या 281 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 306 रकबा 0. 3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 307 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 308 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 74 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 84 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 90 रकबा 0.3157 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.4966 हैक्टेयर विस्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 14 व 15 एवं कन्हैयालाल, राजूलाल पिसरान बाबूलाल के नाम दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रार्थी संख्या 14 व 15 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार कन्हैयालाल व राजूलाल की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की चरण संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित भूमियों पर गांव गोठडा से छाबडियों का नयागांव जाने वाले रास्ते पर विस्थित खसरा संख्या 79 देव नारायण का बाग की पश्चिमी मेर बनने रास्ते से खसरा संख्या 78 की पूर्वी व उत्तरी मेर पर बने रास्ते से होते हुए खसरा संख्या 24 एवं खसरा संख्या 77 की मध्य मेर पर बने रास्ते से होते हुए अपने स्वामित्व की भूमियों पर आते जाते है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेतों पर कृषि यंत्र खाद बीज फसल आदि को लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की उक्त भूमियों पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। भूमि खसरा संख्या 78 राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभी अप्रेल 2023 में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 ने प्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने वाले रास्ते जो राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 78 में बना हुआ था, पर जबरन अवैध अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की भूमियों पर जाने वाले उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया एवं विरोध करने पर लडाई झगडा करने व मारपीट करने पर आमादा हुऐ। प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की चरण संख्या 1 व

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

2 में वर्णित भूमियों पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा अतिक्रमण कर बन्द करने देने पर प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर नहीं आ जा पायेगे इससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की भूमियों के उपयोग उपभोग से ही वंचित हो जावेगे। प्रार्थीगण के पास अपने स्वामित्व की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को भूमि खसरा संख्या 78 की पूर्वी व उत्तरी मेर पर 12 फुट चौडा रास्ते में आने वाली भूमि की कीमत नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार को अदा करने को तत्पर एवं तैयार है। अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गई है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण जुलाई 2023 में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 रा भूमि खसरा संख्या 78 पर बने रास्ते पर अतिक्रमण कर बन्द कर देने व प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने नहीं देने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर आने जाने हेतु कृषि भूमि खसरा संख्या 78 की पूर्वी व उत्तरी मेर के सहारे बने 12 फुट चौडे रास्ते को बाजार कीमत पर दिए जाने का आदेश प्रदान करते हुए रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 की ओर से जवाब पेश कर अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि मौके पर व वर्तमान व विगत समय कभी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का अन्य रास्ता होते हुए मात्र अप्रार्थीगण के कमजोर व बाहरी रहने का लाभ उठाने की नियत से रास्ते की आड में दबाव बनाकर अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि को जबरन खरीदने की नियत से दिनांक 15.07.2023 को हुए राजीनामें में स्वयं प्रार्थीगण ने रास्ता नहीं होना स्वीकार किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 ने दुरभिसंधि कर रखी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना ने पत्रांक :–राजस्व/25/321 दिनांक :–21.03.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 90 व 19 जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 78 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है और खसरा संख्या 77 जो कि अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 की खातेदारी में दर्ज है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 78, 77 में से 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं होना, प्रस्तावित रास्ता सुलभ व निकटतम होना अंकित किया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 24 वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम छाबडियों का नयागांव के राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 78 (नहरी–1) में से कुल 12 फीट चौडे व 317 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0354 हैक्टेयर भूमि व भूमि खसरा सं0 77(अप्रार्थी संख्या–8 से 11 दुर्गाशंकर वगै0 की खातेदारी) मे से कुल 12 फीट चौडे व 106 फीटं लम्बे रास्ते में कुल भूमि 0.0118 है0 भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 1100000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 78 राजकीय सिवायचक 0.0354 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 38940/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 77880/रू व भूमि खसरा संख्या 77 खातेदारी भूमि 0.0118 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 12980/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 25960/रू होगी। उक्तानुसार प्रतिकर राशि को निर्धारित मद में प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाकर चालान प्रति/खातेदारी भूमि का भुगतान खातेदार को करने/डी0डी0 न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 21.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

21/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446